

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला जयपुर

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
60/2017	7-4-2017	15-4-2019

रामनारायण पुत्र भोरिया जाति मीना, निवासी ग्राम नांगल गोगोरियान्, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राजस्थान।

वादी

बनाम

- 1 जगदीश पुत्र प्रभात
- 2 बिसराम पुत्र बृद्धाराम पौत्र पोडंगा
- 3 सुखराम पुत्र बृद्धाराम पौत्र पोडंगा
- 4 रामदयाल पुत्र बृद्धाराम पौत्र पोडंगा
- 5 गोपाल पुत्र नानगराम पौत्र पोडंगा
- 6 रामकिशन पुत्र नानगराम पौत्र पोडंगा
- 7 राजू उर्फ राजेन्द्र पुत्र ग्यारसीलाल पौत्र पोडंगा
- 8 रमेश पुत्र ग्यारसीलाल पौत्र पोडंगा
- 9 प्रहलाद पुत्र ग्यारसीलाल पौत्र पोडंगा

समस्त जाति मीना, हाल निवासी ग्राम नांगल गोगोरियान्, तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर राजस्थान।

- 10 राज० सरकार जरिये उपतहसीलदार आंधी तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थिति अभिभाषक

श्री राजेश कुमार पारीक— वकील वादी

पैरोकार सरकार — प्रतिवादी संख्या 10

दावा बाबत घोषणा इन्द्राज दुरुस्ती

निर्णय

दिनांक 15-4-2019

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इन कथनों के साथ वाद पेश किया कि वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नं. 185 रकबा 0.16 हैक्टेयर, ग्राम नांगल गोगोरियान् पटवर हल्का लालवास उपतहसील आंधी में स्थित है जिसके रिकार्ड में राहिन जगदीश पुत्र प्रभात, पोडंगा पुत्र नृसिंगा मुर्तहिन 30 वर्षों से अधिक समय से दर्ज चला आ रहा है वादी ने कभी जगदीश व पोडंगा को उक्त भूमि रहन नहीं रखी थी गलती से

ave
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

रहन का इन्द्राज रिकार्ड में चला आ रहा है। वादी ने राजस्व कैम्प के तहत भी प्रार्थना पत्र पेश किया परन्तु सक्षम न्यायालय में इसकी घोषणा करवाने का निर्देश होने पर रहन को हटवाने हेतु यह वाद पेश किया गया है। जगदीश व पोडंगा का देहान्त हो गया है उनके विधिक वारीसान् को पक्षकार बनाया गया है रिकार्ड में आज भी जगदीश, पोडंगा का नाम दर्ज है वाद पत्र में राहिन जगदीश पुत्र प्रभात, पोडंगा पुत्र नृसिंगा मीना को मुर्तहीन के अंकन को हजफ किये जाने का अनुतोष चाहा गया ।


वाद दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस द्वारा सूचना के उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 22-3-2019 को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई एवं बहस एकतरफा सुनी गई ।

बहस में वकील वादी ने वाद पत्र के कथनों को दोहराते हुये कहा कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 43 के अनुसार यदि कोई खातेदारी भूमि रहन रखी भी हो तो उसका उन्मोचन 5 वर्ष में स्वतः ही हो जाता है जबकि वादग्रस्त भूमि के रहन के अंकन को आज दिनांक तक नहीं हटाया गया है जगदीश व पोडंगा को यदि रहन रखी भी हो तो कानूनी रूप से उसका उन्मोचन हो चुका है जिसके नाम को हजफ करने के लिए कम्प में प्रार्थना पत्र दिया गया परन्तु रहन के अंकन को नहीं हटाया गया। इसलिए वाद पेश करना आवश्यक हुआ। अतः वाद डिकी किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, वाद पत्र का पठन किया प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया जिसके रिकार्ड से स्पष्ट है कि रहन का अंकन हुये 5 वर्ष से अधिक समय हो गया है और धारा 43 के प्रावधान स्पष्ट है कि 5 वर्ष से अधिक का रहन स्वतः ही उन्मोचित हो जाता है। इसलिए वादी का वाद स्वीकार किया जाने योग्य है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 185 रकबा 0.16 हैक्टेयर स्थित ग्रात नांगल गोगोरियान्, पटवार हल्का लालवास उपतहसील आंधी तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर के रिकार्ड में राहिन जगदीश पुत्र प्रभात, पोडंगा पुत्र नृसिंगा जाति मीना मुर्तहीन को हजफ किया जाने के आदेश दिये जाते है तथा उपतहसीलदार आंधी को उक्त रहन के इन्द्राज को हजफ करने के निर्देश दिये जाते है। निर्णय अनुसार डिकी जारी हो एवं निर्णय तथा डिकी की पालना हेतु उपतहसीलदार आंधी को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 15-4-2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया, पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो


उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

